

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 9116/2016

CNR: RJHC010535532016

URN: CW / 19888U / 2016

Dalpat Ram son of Shri Chogaramji, aged about 31 years,
resident of Harji Road, New Abadi, Village & post Jawal, Tehsil
and District Sirhoi.

-----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through the Principal Secretary Rural
Development & Panchayati Raj Department Secretariate,
Rajasthan, Jaipur.
2. Zila Parishad, Sirohi Through its Chief Executive Officer,
Zila Parishad, Sirohi.
3. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Sirohi.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Shah, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Arpit Yoganandi, Adv. & Mr. Nilesh Choudhary, Adv. for Mr. Kuldeep Vaishnav, GC

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

08/07/2026

विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि याची, अयाची विभाग में वर्ष 2008 से 2015 तक निरन्तर अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से चालक के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा था, सेवाएं संतोषप्रद रही है तथा समय समय पर अयाची विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे प्रशंसा पत्र भी दिये गये हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2015 से उसकी सेवाएं नहीं ली जा रही है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्यायिक निर्णय Mooli Devi Choudhary Vs. State of Rajasthan & Ors. 2010(4) WLC (Raj.) 334 प्रस्तुत किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अयाची विभाग का निवेदन है कि याची को अयाची विभाग द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, प्लेसमेंट एजेंसी का वह कर्मचारी है, याची व अयाची विभाग में क्रमशः कर्मचारी व नियोक्ता के कोई संबंध नहीं है, इस कारण से याची इस न्यायालय से सेवा में निरन्तर रहने का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2018) 17 SCC 641, K.K. Suresh & Anr. V/s. Food Corporation of India & Ors. के मामले में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि जहां याची की सेवाएं संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करवाई गई है तो ऐसी स्थिति में याची व विभाग के बीच क्रमशः कर्मचारी अथवा नियोक्ता के संबंध स्थापित नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में याची संबंधित विभाग में निरंतर रूप से सेवाएं दिये जाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उपरोक्त निर्णय का पैरा संख्या 07 सुसंगत है जो निम्नानुसार है:—

"7. In the first place, the appellants failed to adduce any evidence to prove existence of any relationship between them and the FCI; Second, when the documents on record showed that the appellants were appointed by the FCI Head Load Workers Co-Operative Society but not by the FCI then obviously the remedy of the appellants, if at all, in relation to their any service dispute was against the said Society being their employer but not against the FCI; Third, the FCI was able to prove with the aid of evidence that the appellants were in the employment of the said Society whereas the appellants were not able to prove with the aid of any documents that they were appointed by the FCI and how and on what basis they claimed to be in the employment of the FCI except to make an averment in the writ petitions in that behalf. It was, in our opinion, not sufficient to grant any relief to the appellants."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि अयाची राजकीय विभाग तथा याची के बीच

क्रमशः नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अयाची विभाग, याची की सेवाएं निरंतर रूप से लेंगे, इस प्रकार का कोई अनुतोष याची प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है। स्थगन आवेदन भी इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J